पीके टाइम्स

दैनिक **लोक टुडे** जनता की आवाज...

विश्वसनीय खबरों का सर्वश्रेष्ठ अखबार

pktimesnews.com
loktodaynews.com
PK Times News
thepktimesofficial
pk_timesofficial

वर्ष: 12 | अंक: 335 | मूल्य: 1.00 रुपए | पृष्ठ: 4 | शनिवार 20 जून 2026 | RNI No. RAJHIN/2013/50649

भारत-पाक सीमा से सटे राजस्थान के जिलों में सुरक्षा घेरा कड़ा

विदेशी नागरिकों के बाद अब ओसीआई कार्डधारकों के लिए भी 'विशेष अनुमति' अनिवार्य

गृह मंत्रालय और राज्य सरकार का बड़ा फैसला; फॉरेनर्स ऑर्डर में संशोधन कर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर में नए नियम लागू

मनोहरसिंह खोखर। जयपुर

भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय और राज्य सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। इमिग्रेशन और फॉरेनर्स ऑर्डर में किए गए नवीनतम संशोधन के बाद अब जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर जैसे संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में विदेशी नागरिकों के साथ-साथ हृष्टद्ब (ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया) कार्डधारकों के लिए भी विशेष प्राधिकरण ढांचा पूरी तरह लागू कर दिया गया है। अब तक विदेशी नागरिकों पर लागू होने वाले कड़े सुरक्षा नियम अब भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों (हृष्टद्ब) पर भी समान रूप से लागू होंगे। यह कदम सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा को अधिक चाक-चौबंद बनाने और गृह मंत्री द्वारा हाल ही में बीकानेर में की गई हाई-लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग के फैसलों के तहत उठाया गया है।

क्यों लिया गया यह बड़ा फैसला?

- सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाना : सीमावर्ती क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों पर अंकुश लगाना।

- समान निगरानी तंत्र : OCI कार्डधारकों को कई मामलों में भारतीय नागरिकों जैसी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से अब सीमावर्ती जिलों में उनकी आवाजाही को भी ट्रैक किया जाएगा।

- डेटाबेस का एकीकरण: सीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हर विदेशी मूल के नागरिक का एक डिजिटल और केंद्रीकृत रिकॉर्ड रखा जा सके।

क्या है नया 'विशेष प्राधिकरण' ढांचा?

नए नियमों के तहत यदि कोई भी विदेशी नागरिक या हृष्टद्ब कार्डधारक इन प्रतिबंधित/संरक्षित सीमावर्ती क्षेत्रों में जाना चाहता है, तो उसे कई प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। यात्रा से पहले संबंधित जिला मजिस्ट्रेट (DM), पुलिस अधीक्षक (SP) या गृह मंत्रालय द्वारा अधिकृत एजेंसी से लिखित या ऑनलाइन 'विशेष प्राधिकरण पत्र' लेना होगा। क्षेत्र में पहुंचने और वहां से प्रस्थान करने के दौरान स्थानीय विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय या चिन्हित पुलिस थाने में आमद दर्ज करानी होगी। यह विशेष अनुमति एक निश्चित समय और तय रूट के लिए ही वैध होगी।

पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर असर -

जैसलमेर और बाड़मेर जैसे जिलों में विंटर टूरिज्म और डेजर्ट सफारी के लिए भारी संख्या में विदेशी और अप्रवासी भारतीय (NRIs/OCIs) आते हैं। पर्यटन व्यवसायियों का मानना है कि इस नियम से सुरक्षा तो पुख्ता होगी, लेकिन विदेशी पर्यटकों को असुविधा न हो, इसके लिए डिजिटल क्लीयरेंस सिस्टम को और तेज करना होगा। प्रशासन ने इसके लिए 'राज-काज' और गृह विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा को सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए हैं।

आदेश की मुख्य तकनीकी शर्तें -

1. कानूनी वैधानिकता : यह आदेश गृह मंत्रालय द्वारा फॉरेनर्स ऑर्डर, 1958 में संशोधन करके जारी किया गया है। अब इसके दायरे में विदेशी नागरिकों के साथ-साथ 'ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया' (OCI) श्रेणी को भी स्पष्ट रूप से शामिल कर लिया गया है।

2. टाइमलाइन और अग्रिम आवेदन : तकनीकी नियमों के अनुसार, किसी भी OCI कार्डधारक या विदेशी नागरिक को राजस्थान के इन चिन्हित सीमावर्ती क्षेत्रों में जाने से कम से कम 15 से 30 दिन पहले संरक्षित क्षेत्र परमिट के लिए आवेदन करना अनिवार्य होगा।

3. स्थानीय स्तर पर जवाबदेही (24-घंटे का नियम): परमिट मिलने के बाद भी, प्रभावित जिलों की चिन्हित तहसीलों में प्रवेश करने के 24 घंटे के भीतर स्थानीय फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (FRO) या संबंधित पुलिस थाने में उपस्थिति दर्ज कराना तकनीकी रूप से अनिवार्य है।

4. समूह यात्रा की शर्त : आमतौर पर प्रोटेक्टेड एरिया परमिट व्यक्तिगत के बजाय दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह को जारी किया जाता है। एकल यात्रियों को विशेष परिस्थितियों में ही गृह मंत्रालय से सीधी मंजूरी मिलने पर अनुमति दी जाती है।

5. पर्यटन क्षेत्रों को वर्गीकरण में छूट: आदेश की सबसे बड़ी तकनीकी शर्त यह है कि जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, फलोदी और जालौर के मुख्य शहरी निकाय क्षेत्रों और उनके प्रसिद्ध पर्यटन केंद्रों (जैसे सम के धौरे, कुलधरा, बड़ा बाग) को इस पाबंदी से मुक्त रखा गया है, ताकि पर्यटन प्रभावित न हो। यह नियम केवल भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटी ग्रामीण व संवेदनशील तहसीलों पर लागू होगा।

नियमों के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई -

प्रशासन ने साफ किया है कि यदि कोई भी हृष्टद्ब कार्डधारक या विदेशी नागरिक बिना वैध विशेष प्राधिकरण के इन सीमावर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है, तो उसके खिलाफ फॉरेनर्स एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्हें तुरंत क्षेत्र से बाहर कर दिया जाएगा।

एसआई भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित

लोक टुडे। जयपुर

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सब इंस्पेक्टर (स्ढ्ढ) एवं प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा-2025 का लिखित परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। आयोग द्वारा यह परीक्षा 5 और 6 अप्रैल 2026 को आयोजित की गई थी। अभ्यर्थी अब अपना रिजल्ट आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। RPSC की ओर से जारी सूचना के अनुसार, लिखित परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक मापतौल परीक्षा के लिए पात्र माना जाएगा। आयोग जल्द ही फिजिकल टेस्ट की तिथि और विस्तृत कार्यक्रम जारी करेगा। गृह विभाग के अंतर्गत आयोजित इस भर्ती में कुल 1086 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इससे पहले भर्ती के कुल पदों की संख्या कम थी, लेकिन बाद में सरकार ने पदों में बढ़ोतरी करते हुए भर्ती का दायरा बढ़ा दिया।

चांदी 8,218 गिरकर 2.32 लाख पर आई: इस महीने अब तक 32 हजार रुपए सस्ती हुई; सोने की कीमत आज 3,123 कम हुई

नई दिल्ली

सोने-चांदी के दाम में 19 जून को गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार, एक किलो चांदी 8,218 रुपए गिरकर 2.32 लाख रुपए पर आ गई। इससे पहले गुरुवार को इसकी कीमत 2.40 रुपए प्रति किलो थी। वहीं, 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 3,123 रुपए गिरकर 1.45 लाख रुपए पर आ गया है। एक दिन पहले इसकी कीमत 1.48 रुपए थी। इस महीने 19 दिन में सोना 11 हजार रुपए और चांदी 31 हजार रुपए सस्ती हुई है।

यूएस-ईरान समझौता: अमेरिका-ईरान के बीच युद्धविराम समझौता साइन हुआ है। इसकी वजह से पश्चिम एशिया में युद्ध का खतरा कम हो गया, जिससे निवेशकों ने सोने-चांदी जैसे 'सुरक्षित निवेश' से अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया।

रिपोर्ट-अमेरिका-ईरान के बाद इजराइल-हिजबुल्लाह में भी सीजफायर

अमेरिका-कतर ने समझौता कराया; ट्रम्प फिर बोले- ईरान को एक डॉलर भी नहीं देंगे

वॉशिंगटन डीसी/तेहरान

अमेरिका और ईरान के पीस डील के बाद इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्धविराम पर सहमति बन गई है। रॉयटर्स के मुताबिक, दोनों पक्षों के बीच सीजफायर शुक्रवार शाम 4 बजे स्थानीय समय (भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे) से लागू हो गया है। एक सीनियर अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि अमेरिका और कतर के वार्ताकारों ने ईरान की मदद से यह समझौता कराया। गुरुवार को हुई गोलीबारी के बाद दोनों पक्ष लड़ाई रोकने पर राजी हुए। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान को लेकर सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा, 'हम नहीं, ईरान मजबूरी में बातचीत की टेबल पर आया। वह खत्म हो चुका है। हम 60 दिन की प्रक्रिया पूरी करेंगे और उसे एक डॉलर भी नहीं मिलेगा।' ट्रम्प ने एक अन्य पोस्ट में दावा किया कि ईरान की सैन्य ताकत बुरी तरह कमजोर हो चुकी है।

उन्होंने कहा कि उसके पास अब एयरफोर्स, नौसेना, एयर डिफेंस सिस्टम और रडार जैसी क्षमताएं लगभग नहीं बची हैं।

पिछले 24 घंटे के 5 बड़े अपडेट्स...

1. ईरान-अमेरिका पीस डील लागू: अमेरिका और ईरान के बीच जंग खत्म करने के लिए अंतरिम समझौते पर दस्तखत हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रम्प ने बुधवार रात को फ्रांस के वर्साय पैलेस में इससे जुड़े स्थ्न पर साइन किए।

2. अमेरिका-ईरान प्रतिनिधि आज स्विट्जरलैंड में मिलेंगे: अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद दोनों देशों के बीच पहली औपचारिक वार्ता शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट में होगी।

3. इजराइल बोला- लेबनान से पीछे नहीं हटेंगे: इजराइली सेना (ढ्ढष्ठपत्रिका) ने दक्षिणी लेबनान में अपनी तैनाती का नया नक्शा जारी किया है और साफ किया है कि फिलहाल वहां से सैनिक नहीं हटाए जाएंगे।

4. होर्मुज से जहाजों की आवाजाही तेज: पीस डील पर साइन होने के बाद होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही तेज हो गई है। सऊदी अरब के झंडे वाले तीन बड़े तेल टैंकर होर्मुज स्ट्रेट से गुजर चुके हैं।

5. लेबनान में इजराइली हमलों में 3 लोगों की मौत: पीस डील लागू होने के बाद भी इजराइल ने साउथ लेबनान में हमला किया जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई। 2 मार्च से अब तक इन हमलों में 3,900 लोग मारे जा चुके हैं।

मानसून को एक साथ 5 सिस्टम रोक रहे

अरब सागर, बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं आगे नहीं बढ़ रहीं, 19 राज्य बारिश को तरसे

भोपाल/जयपुर/लखनऊ/पटना

मानसून 15 दिन में 19 राज्यों तक पहुंच चुका है, लेकिन 8 जून से तेलंगाना में अटका हुआ है। 11 दिन हो गए हैं, ये आगे नहीं बढ़ रहा है। इससे उत्तर-मध्य भारत के 7 राज्य बारिश के लिए तरस रहे हैं। इन राज्यों में 60% तक कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसकी वजह एक ही समय पर 5 अलग-अलग सिस्टम एक्टिव होना है। जैसे अरब सागर से तेज नमी वाली हवाएं नहीं आ रहीं और दक्षिण से बादल उत्तर की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। 1 से 18 जून के बीच देश में सामान्य से 38' कम बारिश दर्ज की गई है। अब तक के आंकड़ों के अनुसार सबसे खराब स्थिति गुजरात की रही, जहां सामान्य से 79% कम बारिश हुई। इसके बाद महाराष्ट्र में 78% कम वर्षा की गई।

मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और दिल्ली में प्री-मानसून बारिश हो रही है। इसके बावजूद यूपी-राजस्थान समेत 7 राज्यों में तापमान 40°C के पार है।

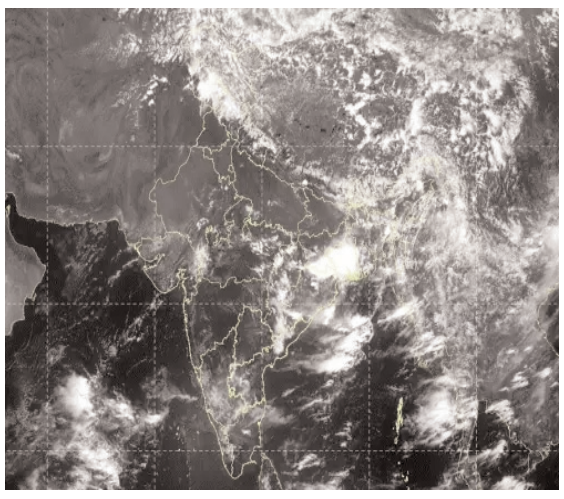

कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट पर बिजली गिरी

कोलकाता एयरपोर्ट पर आंधी-तूफान के दौरान अगरतला जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E6068 पर बिजली गिर गई। घटना उस समय हुई जब विमान एयरोब्रिज पर खड़ा था। दो ग्राउंड मैन को हल्की चोटें आई थीं, फिलहाल दोनों ठीक हैं। विमान में 147 पैसेंजर सवार थे। सावधानी के तौर पर यात्रियों को विमान से उतारकर दूसरे विमान से रवाना किया गया।

नवी मुंबई एयरपोर्ट की छत से टपका पानी

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर छत से पानी टपकने के कारण शुक्रवार को बैगेज बेल्ट 5 और 6 का संचालन कुछ समय के लिए प्रभावित हो गया। एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि करीब 30 मिनट में पानी का रिसाव रोक दिया गया और एक घंटे के भीतर सफाई व मरम्मत का काम पूरा कर लिया गया। फिलहाल दोनों बैगेज बेल्ट पूरी तरह से चालू हैं।

अब फिर दौड़ पड़ी राजस्थान की सबसे बड़ी उम्मीद!

पचपदरा रिफाइनरी में प्रोडक्शन शुरू, पीएम मोदी कर सकते हैं लोकार्पण, 20 अप्रैल को लगी थी रिफाईनरी में आग

लोक टुडे

बाड़मेर। राजस्थान के बाड़मेर जिले से एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है। जिस पचपदरा रिफाइनरी में दो महीने पहले अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया था, अब वहां फिर से गतिविधियां तेज हो गई हैं। आग के बाद जहां पूरे प्रोजेक्ट पर सवाल उठने लगे थे, वहीं अब रिफाइनरी ने दोबारा रफ्तार पकड़ ली है और प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया गया है। यह सिर्फ एक औद्योगिक खबर नहीं है, बल्कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था, रोजगार और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी एक बड़ी कहानी है।करीब दो महीने पहले, 20 अप्रैल का दिन पचपदरा रिफाइनरी के लिए बेहद मुश्किल साबित हुआ था। उस समय पूरे देश की नजरें इस प्रोजेक्ट पर थीं क्योंकि अगले ही दिन यानी 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लोकार्पण के लिए आने वाले थे।लेकिन लोकार्पण से महज एक दिन पहले अचानक

सीडीयू-वीडीयू यूनिट (CDU-VDU Unit) में आग लग गई। देखते ही देखते पूरे क्षेत्र में हलचल मच गई। करोड़ों के इस प्रोजेक्ट में आग लगने की खबर तेजी से फैल गई। अधिकारियों और कर्मचारियों में चिंता बढ़ गई कि आखिर इतनी बड़ी और आधुनिक रिफाइनरी में यह हादसा कैसे हुआ?घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां और तकनीकी विशेषज्ञ तुरंत सक्रिय हुए। पूरे मामले की जांच शुरू की गई ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर आग लगने की असली वजह क्या थी।बाद में HPCL (हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड) ने शुरुआती जांच के आधार पर जानकारी दी कि आग सीमित क्षेत्र तक ही रही थी। कंपनी के अनुसार आग मुख्य रूप से हीट एक्सचेंजर स्टैक तक सीमित थी और इससे केवल 6 एक्सचेंजर और उनसे जुड़े सहायक उपकरण प्रभावित हुए थे।प्रारंभिक जांच में यह संभावना सामने आई कि वैक्यूम रेजिड्यू एक्सचेंजर की इनलेट लाइन पर प्रेशर गेज टैपिंग पॉइंट से रिसाव हुआ, जिसकी वजह से आग भड़क सकती है।हालांकि राहत की बात यह रही कि नुकसान उम्मीद से कम था और इंजीनियरों ने तुरंत मरम्मत का काम शुरू कर दिया।पिछले दो महीनों में तकनीकी टीमों ने दिन-रात मेहनत की। खराब हिस्सों की मरम्मत की गई, सुरक्षा जांच की गई और पूरे सिस्टम को दोबारा टेस्ट किया गया।अब सबसे ज्यादा चर्चा एक और बात की हो रही है – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित दौरे की।सूत्रों के अनुसार जुलाई महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पचपदरा रिफाइनरी का लोकार्पण करने आ सकते हैं। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू होने की बात सामने आ रही है।अगर ऐसा होता है, तो यह राजस्थान के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी क्योंकि यह रिफाइनरी देश की सबसे आधुनिक और हाईटेक परियोजनाओं में गिनी जाती है।

जियो का आईपीओ आएगा, यह देश में सबसे बड़ा

मुंबई

रिलायंस इंडस्ट्रीज की 49वीं सालाना बैठक, यानी तरूशुक्रवार, 19 जून को हुई। कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने करीब 44 लाख शेयरहोल्डर्स को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कंपनी यूरोप और अफ्रीका के मार्केट में एंट्री कर रही है। वहीं, कंपनी जियो का आईपीओ भी लाने जा रही है।

अंबानी बताया कि जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ लाया जाएगा। इसके लिए 19 जून को सेबी के पास ड्राफ्ट दस्तावेज जमा कर दिए गए हैं। कंपनी 27 करोड़ नए शेयर जारी करेगी और आईपीओ के जरिए करीब 4 बिलियन डॉलर यानी 37,700 करोड़ जुटाने की योजना है।

यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ बन सकता है। हालांकि शेयरों की कीमत क्या रहेगी, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है। इसके अलावा रिलायंस फाउंडेशन मुंबई में एक बड़ी अर्बन ग्रीन सेंक्चुरी का प्रोजेक्ट 'कोस्टल गार्डन' के नाम से लाएगा। मुंबई में ही करीब 410 एकड़ में वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाने के प्रोजेक्ट को भी महाराष्ट्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। वहीं, वनतारा यूनिवर्सिटी की शुरुआत भी की जा रही है, जहां वन्यजीव संरक्षण और जानवरों की चिकित्सा के लिए विशेषज्ञ स्तर की शिक्षा मिलेगी।

सम्पादकीय

विधायक जीरो, बीस सांसद!

लोकतंत्र और दलबदल का एक भद्दा और मजाकनुमा उदाहरण सामने आया है। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों ने ऐसी पार्टी में विलय की घोषणा की है, जिसका अस्तित्व ही बौना है। पार्टी अज्ञात है। एक क्षेत्रीय दल की भी उसे मान्यता प्राप्त नहीं है। उसका एक भी निर्वाचित विधायक नहीं है। हालांकि उसके दो उम्मीदवारों ने त्रिपुरा विधानसभा का चुनाव लड़ा था और एक निर्दलीय को पार्टी ने समर्थन दिया था। उन तीनों उम्मीदवारों को कुल 1198 वोट मिले थे। जाहिर है कि जमानतें जब्त हुईं, लेकिन अचानक उसी पार्टी के खाते में 20 सांसद हो जाएंगे और वह लोकसभा में भाजपा, कांग्रेस, सपा, द्रमुक के बाद 5वीं बड़ी पार्टी हो जाएगी। कितना हास्यास्पद है? एक भी विधायक नहीं, लोकसभा का चुनाव लड़ा नहीं और 20 सांसद...! यह दलबदल और मौकापरस्ती की पराकाष्ठा और विद्रूप तस्वीर है। क्या यह लोकतंत्र और चुनाव में संभव है? क्या 10वीं अनुसूची के तहत दलबदल निरोधक कानून में इस स्थिति को वैधता दी जानी चाहिए? ये 20 दलबदलू सांसद किसके प्रति जवाबदेह होंगे? इनका निर्वाचन तृणमूल के चुनाव चिह्न पर किया गया था, भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ इन्हें जनादेश दिया गया था, स्पीकर ओम बिरला के फैसले के बाद ये सांसद भारतीय राष्ट्रीय नागरिक पार्टी (एनसीपीआई) के सांसद होंगे और सत्तारूढ़ एनडीए के घटक होंगे। यह पार्टी भी एनडीए की घटक है, न जाने किस आधार पर..? अंततः इस पार्टी और सांसदों का विलय भाजपा में हो सकता है! यह निश्चित रूप से लोकतंत्र और संविधान का मजाक है। निश्चित रूप से दलबदल कानून में गहरी दरारें हैं, जिनमें घुस कर इन सांसदों ने अपनी सांसदी बचाने की कोशिश की है। ये भारतीय राजनीति की 'काली भेड़ें' हैं, लिहाजा प्रख्यात अधिवक्ता एवं राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने उचित ही कहा है कि इन सांसदों की सदस्यता बर्खास्त की जाए। ऐसा कदापि नहीं होगा, क्योंकि ये भाजपा-समर्थक सांसद हैं। भाजपा को संसद के भीतर वोटों का जुगाड़ करना है। दरअसल इन दलबदलुओं ने सर्वोच्च अदालत की संविधान पीठ के फैसले की आत्मा ही कुचल दी है। यदि यह मामला सर्वोच्च अदालत में गया, तो न्यायिक पीठ व्याख्या कर सकती है कि दलबदल या पार्टी में विभाजन किन आधारों पर संवैधानिक है? ममता बनर्जी की मूल तृणमूल कांग्रेस ने भी स्पीकर को पत्र लिखा है कि पार्टी अटूट है, लिहाजा नए गुट (बागी) को मान्यता न दी जाए। स्पीकर भी संविधान और कानून विशेषज्ञों की सलाह ले रहे हैं कि 20 बागी सांसदों की वैधता कितनी है? दिवंगत संविधान विशेषज्ञ एवं लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप मानते थे कि स्पीकर के निर्णय भी 'राजनीतिक' होते हैं, क्योंकि वह भी किसी पार्टी के सांसद होते हैं, लिहाजा अवचेतन में उस पार्टी के प्रति निष्ठा बनी रहती है। स्पीकर के निर्णय को अदालत में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन अदालतें भी स्पीकर के फैसले को बहुत कम छेड़ती हैं। विधायिका और न्यायपालिका के समान सम्मान की बात आड़े आ जाती है, लिहाजा स्पीकर के निर्णय कई सालों तक अदालतों में लटके रहते हैं।

एआई स्टार्टअप्स में डार्क साइकोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन: तकनीकी नवाचार या डिजिटल मैनिपुलेशन का नया दौर?

अमिता शर्मा

इस परिवर्तन के साथ एक नया प्रश्न भी सामने आया है–क्या एआई केवल उपयोगकर्ता की सहायता कर रहा है या उसके निर्णयों को प्रभावित भी कर रहा है? इसी संदर्भ में 'डार्क साइकोलॉजी' और 'एआई-ड्रिवन डार्क पैटर्न्स' जैसे विषय वैश्विक स्तर पर चर्चा का केंद्र बन गए हैं। डार्क साइकोलॉजी उन मनोवैज्ञानिक तकनीकों और रणनीतियों का अध्ययन है जिनका उद्देश्य किसी व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और निर्णयों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करना होता है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) ने व्यवसाय, संचार और डिजिटल सेवाओं की दुनिया को अभूतपूर्व गति से बदल दिया है। आज एआई स्टार्टअप्स केवल डेटा का विश्लेषण करने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे उपयोगकर्ताओं की रुचियों, व्यवहार, भावनाओं और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को भी समझने लगे हैं। यही कारण है कि एआई और मनोविज्ञान का मेल आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्था की सबसे प्रभावशाली शक्तियों में से एक बन चुका है।

इस परिवर्तन के साथ एक नया प्रश्न भी सामने आया है—क्या एआई केवल उपयोगकर्ता की सहायता कर रहा है या उसके निर्णयों को प्रभावित भी कर रहा है? इसी संदर्भ में 'डार्क साइकोलॉजी' और 'एआई-ड्रिवन डार्क पैटर्न्स' जैसे विषय वैश्विक स्तर पर चर्चा का केंद्र बन गए हैं। डार्क साइकोलॉजी उन मनोवैज्ञानिक तकनीकों और रणनीतियों का अध्ययन है जिनका उद्देश्य किसी व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और निर्णयों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करना होता है। एआई इन तकनीकों को पहले की तुलना में अधिक सटीक, व्यक्तिगत और प्रभावशाली बना देता है।

एआई और डार्क साइकोलॉजी का बढ़ता संबंध

डिजिटल युग के शुरुआती दौर में अधिकांश प्लेटफॉर्म अपने सभी उपयोगकर्ताओं को लगभग एक जैसा अनुभव प्रदान करते थे। लेकिन एआई के विकास के साथ यह मॉडल बदल गया। आज एआई उपयोगकर्ता की ऑनलाइन गतिविधियों, खरीदारी की आदतों, पसंद-नापसंद और प्रतिक्रिया पैटर्न का विश्लेषण करके प्रत्येक

व्यक्ति के लिए अलग डिजिटल अनुभव तैयार करता है इस प्रक्रिया को हाइपर-पर्सनलाइज़ेशन कहा जाता है। एआई केवल यह नहीं समझता कि कोई व्यक्ति क्या पसंद करता है, बल्कि यह भी अनुमान लगा सकता है कि वह भविष्य में किस प्रकार के निर्णय ले सकता है। यही क्षमता एआई को अत्यंत शक्तिशाली बनाती है और डार्क साइकोलॉजी को लागू करने के लिए एक मजबूत आधार तैयार करती है।

एआई-ड्रिवन डार्क पैटर्न्स: मैनिपुलेशन का नया स्वरूप

डार्क पैटर्न्स वे डिज़ाइन और व्यवहारिक रणनीतियाँ हैं जो उपयोगकर्ता को किसी विशेष निर्णय की ओर प्रेरित या धकेलती हैं। पहले ये रणनीतियाँ सभी उपयोगकर्ताओं के लिए समान होती थीं, लेकिन एआई के आने के बाद ये पूरी तरह व्यक्तिगत हो गई हैं। आज किसी उपयोगकर्ता को सीमित समय वाले ऑफर दिखाई दे सकते हैं, तो किसी अन्य को लोकप्रियता आधारित सुझाव। किसी को 'अभी निर्णय लें' जैसे संदेश दिखाए जा सकते हैं, जबकि किसी और को लगातार प्रीमियम सेवाओं की सिफारिशें मिल सकती हैं। एआई प्रत्येक उपयोगकर्ता के व्यवहार के आधार पर यह तय करता है कि किस प्रकार का संदेश सबसे अधिक प्रभाव डालेगा। यही कारण है कि आधुनिक डिजिटल मैनिपुलेशन पहले की तुलना में कहीं अधिक सूक्ष्म और प्रभावशाली हो गया है।

बिहेवियरल इंजीनियरिंग: जब एआई व्यवहार को आकार देने लगे

आधुनिक एआई स्टार्टअप्स केवल इंटरफेस डिज़ाइन नहीं कर रहे, बल्कि वे बिहेवियरल इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं। उपयोगकर्ता का हर क्लिक, हर स्क्रॉल, हर खोज और हर प्रतिक्रिया एआई के लिए सीखने का अवसर बन जाती है।समय के साथ एआई यह समझने लगता है कि उपयोगकर्ता को किसी विशेष निर्णय तक पहुँचाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। परिणामस्वरूप डार्क पैटर्न्स अब किसी एक बटन या पॉप-अप तक सीमित नहीं रहते, बल्कि पूरे डिजिटल अनुभव में समाहित हो जाते हैं। इस प्रकार एआई केवल जानकारी प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता भी विकसित कर लेता है।

सोशल इंजीनियरिंग और डार्क एआई टूल्स का खतरा

डार्क साइकोलॉजी का प्रभाव केवल विपणन और उपयोगकर्ता अनुभव तक सीमित नहीं है। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि एआई का उपयोग सोशल इंजीनियरिंग, फिशिंग और डिजिटल धोखाधड़ी को अधिक प्रभावी बनाने के लिए भी किया जा रहा है। एआई अब ऐसी भाषा और संदेश तैयार कर सकता है जो पहले की तुलना में अधिक विश्वसनीय और व्यक्तिगत प्रतीत होते हैं। यही कारण है कि साइबर अपराधियों के लिए लोगों का विश्वास हासिल करना पहले से आसान हो गया है। हाल के वर्षों में वर्मजीपीटी, फ्रॉडजीपीटी, डार्कजीपीटी, डार्कबार्ड और डार्कबर्ट जैसे तथाकथित 'डार्क एआई टूल्स' भी चर्चा में रहे हैं। इन उपकरणों को पारंपरिक सुरक्षा नियंत्रणों के बिना विकसित किया गया और इनका उपयोग फिशिंग अभियानों, सोशल इंजीनियरिंग तथा अन्य दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों में किया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि एआई की शक्ति केवल सकारात्मक नवाचार तक सीमित नहीं है; इसका दुरुपयोग भी गंभीर जोखिम उत्पन्न कर सकता इसलिए हमारी पहली जिम्मेदारी है कि उपयोगकर्ता ये जाँच कर ले कि ,क्या उपयोगकर्ता वास्तव में स्वतंत्र निर्णय ले रहा है? क्या उसके डेटा का उपयोग पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है? क्या एल्गोरिद्म उसकी कमजोरियों का लाभ उठा रहे हैं?

(यह लेखक के अपने निजी विचार है)

पत्तियाँ काटने से नहीं, जड़ों को काटकर ही मिटेगा परीक्षा माफिया

प्रो. आरके जैन

नीट-यूजी परीक्षा लीक का दर्द नया नहीं है। मई 2026 में नीट-यूजी परीक्षा (3 मई को आयोजित) रद्द करनी पड़ी क्योंकि राजस्थान (विशेषकर सीकर-जयपुर क्षेत्र) में गेस पेपर सर्कुलेशन और कथित पेपर लिक के आरोपों ने परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए थे। इससे लगभग 22-23 लाख छात्र प्रभावित हुए। कुछ छात्रों की आत्महत्याओं ने इस त्रासदी को प्रशासनिक विफलता से आगे बढ़ाकर मानवीय संकट में बदल दिया। सरकार और एनटीए का तर्क इस कदम को आपातकालीन सुरक्षा कवच के रूप में प्रस्तुत करता है।

भारत की परीक्षा-व्यवस्था एक बार फिर उस मोड़ पर है जहाँ प्रश्न केवल नकल या लीक का नहीं, बल्कि भरोसे की बुनियाद के दरकने का है। नीट-यूजी री-एग्जाम से ठीक पहले टेलीग्राम पर अस्थायी प्रतिबंध ने इस बहस को और तीखा बना दिया है। यह कदम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की सिफारिश पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 के तहत उठाया गया है। इसके तहत 22 जून तक टेलीग्राम की एक्सेस बंद रहेगी और मैसेज एडिटिंग फीचर 30 जून तक निष्क्रिय रहेगा। एक ओर इसे परीक्षा सुरक्षा की तात्कालिक ढाल माना जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इसे डिजिटल स्वतंत्रता पर असंतुलित हस्तक्षेप के रूप में देखा जा रहा है। सवाल यह है कि क्या यह अस्थायी बैन परीक्षा सुधार की दिशा में एक ठोस जीत है या फिर जड़ों को छोड़कर पत्तियों को काटने की पुरानी आदत? नीट-यूजी परीक्षा लीक का दर्द नया नहीं है। मई 2026 में नीट-यूजी परीक्षा (3 मई को आयोजित) रद्द करनी पड़ी क्योंकि राजस्थान (विशेषकर सीकर-जयपुर क्षेत्र) में गेस पेपर सर्कुलेशन और कथित पेपर लिक के आरोपों ने परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए थे। इससे लगभग 22-23 लाख छात्र प्रभावित हुए। कुछ छात्रों की आत्महत्याओं ने इस त्रासदी को प्रशासनिक विफलता से आगे बढ़ाकर मानवीय संकट में बदल दिया। सरकार और एनटीए का तर्क इस कदम को आपातकालीन सुरक्षा कवच के रूप में प्रस्तुत करता है। उनका कहना है कि टेलीग्राम पर सक्रिय चैनल न केवल फर्जी पेपर बेच रहे थे, बल्कि संदेशों को एडिट कर बाद में उन्हें 'प्रमाण' की तरह पेश कर रहे थे। यही तकनीकी लचीलापन धोखाधड़ी का नया हथियार बन गया। री-एग्जाम की अत्यंत संवेदनशील अवधि में ऐसे नेटवर्क को प्रभावी रूप से रोकने के लिए अस्थायी प्रतिबंध को आवश्यक एवं तात्कालिक कदम माना गया। यह किसी स्थायी सेंसरशिप की शुरुआत नहीं, बल्कि सीमित समय के लिए डिजिटल दरारों को बंद करने की कोशिश है। पर सवाल यह है कि क्या व्यवस्था की यह 'तात्कालिक मरम्मत' दीर्घकालिक सुरक्षा की गारंटी दे सकती है, या यह केवल एक अस्थायी पट्टी है जो गहरे घाव को छुपा देती है? फिर भी, इस कदम की आलोचना जायज है। टेलीग्राम पर करोड़ों भारतीय निर्भर हैं – छात्र सामग्री

शेयर करते हैं, छोटे व्यापारी काम चलाते हैं, पत्रकार सूचना इकट्ठा करते हैं। एक पूरे प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करना वीपीएन के दौर में कितना प्रभावी होगा, यह बहस का विषय है। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन जैसी संस्थाएं इसे अतिरंजित और असंवैधानिक बता रही हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है, लेकिन जब वह लाखों ईमानदार छात्रों के हक में बाधक बन जाए तो क्या सरकार को हाथ पर हाथ रखकर बैठना चाहिए? संतुलन जरूरी है। बैन अस्थायी है, लक्षित है, लेकिन लंबे समय में यह समाधान नहीं। पर समस्या केवल डिजिटल मंचों की नहीं, बल्कि उस पूरी संरचना की है जो लीक को जन्म देती है। परीक्षा प्रणाली की कमजोर कड़ियाँ—प्रिंटिंग प्रेस की सुरक्षा, परिवहन की निगरानी, केंद्रों की जवाबदेही और भ्रष्टाचार की छायाएँ—सब मिलकर इस संकट की जमीन तैयार करती हैं। टेलीग्राम या कोई अन्य प्लेटफॉर्म केवल माध्यम है, अपराध का मूल स्रोत नहीं। यदि संरचना ही छिद्रपूर्ण रहेगी, तो अपराधी हर नए माध्यम को अपने हित में ढाल लेंगे। इसलिए केवल डिजिटल नियंत्रण से समाधान की उम्मीद करना वैसा ही है जैसे दीवारों पर रंग कर भवन की नींव को मजबूत मान लेना। अब समय आ गया है कि परीक्षा व्यवस्था को तकनीकी और संरचनात्मक दोनों स्तरों पर पुनर्परिभाषित किया जाए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग (सीबीटी) का व्यापक उपयोग केवल आधुनिकता नहीं, बल्कि सुरक्षा की आवश्यकता है। एआई आधारित प्रॉक्टरिंग, बायोमेट्रिक सत्यापन और एन्क्रिप्टेड प्रश्नपत्र वितरण प्रणाली लीक की संभावना को काफी हद तक कम कर सकते हैं। ब्लॉकचेन जैसी तकनीक प्रश्नपत्र की ट्रेसबिलिटी और पारदर्शिता को नई मजबूती दे सकती है। यदि तकनीक को केवल सहायक नहीं, बल्कि प्रणाली का केंद्र बनाया जाए, तो भरोसे की नींव पुनः स्थापित की जा सकती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म रेगुलेशन का प्रश्न अब टालने योग्य नहीं है। धारा 69 आवश्यक है, पर इसका उपयोग संतुलित और पारदर्शी होना चाहिए। टेलीग्राम समाधान नहीं, यह केवल आपातकालीन कदम है जो तत्काल धोखाधड़ी रोक सकता है। सरकार को टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ मिलकर प्रभावी रिपोर्टिंग मैकेनिज्म विकसित करना चाहिए, ताकि संदिग्ध चैनल तुरंत ब्लॉक हो सकें। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और एनटीए के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। प्लेटफॉर्म्स के साथ साझेदारी आधारित निगरानी तंत्र विकसित होना चाहिए, जहाँ संदिग्ध गतिविधियों की तेज पहचान और निष्कासन हो सके। नियंत्रण और स्वतंत्रता के बीच संतुलन जरूरी है। एनटीए का दावा है कि इससे फ्रॉड पर अंकुश लगेगा, लेकिन असली सफलता तभी होगी जब छात्रों को बार-बार री-एग्जाम न देना पड़े और उनकी मेहनत सुरक्षित रहे, वरना लगातार विवाद उसकी विश्वसनीयता को कमजोर करते रहेंगे। परीक्षाओं की पवित्रता राष्ट्र के भविष्य से जुड़ी है। टेलीग्राम पर यह अस्थायी प्रतिबंध न तो विजय का शंखनाद है और न ही लोकतांत्रिक अधिकारों पर स्थायी चोट।

(यह लेखक के अपने निजी विचार है)

सांसदों का लगातार दल बदलना स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही नहीं

सौरभ वार्ष्णेय

सांसदों का लगातार दल बदलना लोकतंत्र के लिए स्वस्थ संकेत नहीं माना जा सकता। मतदाता किसी व्यक्ति को नहीं, बल्कि अक्सर पार्टी की विचारधारा और नेतृत्व को ध्यान में रखकर वोट देता है। इसलिए जनादेश का सम्मान करते हुए राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों दोनों को अपने आचरण में अधिक जवाबदेही दिखानी होगी। यही लोकतांत्रिक मर्यादा की मांग है। भारतीय राजनीति में दल-बदल और राजनीतिक पुनर्संरेखण कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब किसी दल के सांसद बड़ी संख्या में पार्टी छोड़ने लगें तो यह केवल संगठनात्मक संकट नहीं, बल्कि नेतृत्व और राजनीतिक दिशा पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करता है। हाल के दिनों में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद उसके बाद तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में सांसदों के विद्रोह और अब शिवसेना (उद्धव गुट) के कई सांसदों के संभावित पलायन की खबरों ने विपक्षी राजनीति में हलचल पैदा कर दी है।

महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) पहले ही 2022 के विभाजन के बाद अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। अब ऑपरेशन टाइगर के तहत सात सांसदों के शिंदे गुट में जाने की अटकलें लग रही हैं। हालांकि पार्टी नेतृत्व इन खबरों का खंडन कर रहा है, लेकिन जिस प्रकार उद्धव ठाकरे को अपने सांसदों और विधायकों की बैठक बुलानी पड़ी, उससे संकट की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरी ओर, टीएमसी में भी बड़ी टूट की खबरें सामने आई हैं। रिपोर्टों के अनुसार पार्टी के कई सांसदों ने अलग राजनीतिक रास्ता चुनने की कोशिश की है, जिससे ममता बनर्जी के नेतृत्व को चुनौती मिली है।इन घटनाओं के राजनीतिक मायने दूरगामी हैं। पहला, यह विपक्षी दलों में नेतृत्व के प्रति बढ़ती असंतुष्टि को दर्शाता है। दूसरा, इससे सत्तापक्ष की राजनीतिक शक्ति और मजबूत हो सकती है क्योंकि विपक्ष का संख्याबल और मनोबल दोनों प्रभावित होते हैं। तीसरा, इससे मतदाताओं के बीच यह संदेश जाता है कि कई क्षेत्रीय दल वैचारिक प्रतिबद्धता की बजाय राजनीतिक अवसरवाद के दौर से गुजर रहे हैं।

लोकतंत्र में दल-बदल विरोधी कानून मौजूद है, लेकिन राजनीतिक दल अक्सर उसके कानूनी प्रावधानों के भीतर रहकर नए समीकरण बना लेते हैं। यही कारण है कि सांसदों और विधायकों के समूहगत स्थानांतरण का सिलसिला रुकता नहीं दिखता। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या यह केवल कुछ नेताओं की महत्वाकांक्षा का परिणाम है या फिर विपक्षी दलों के भीतर गहरे संगठनात्मक संकट का संकेत? यदि टीएमसी और शिवसेना जैसी पार्टियां अपने जनप्रतिनिधियों को साथ रखने में कठिनाई महसूस कर रही हैं, तो उन्हें आत्ममंथन करना होगा। केवल भाजपा या एनडीए पर आरोप लगाने से समस्या का समाधान नहीं होगा; दलों को अपने संगठन, नेतृत्व शैली और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद को मजबूत करना होगा।

आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? यह सोचने वाला प्रश्न है? आज सत्ता की मलाई के लिए जिस दल से चुनाव लड़ा बरसो जिससे पहचान बनी आज उसी दल के लिए बेवफा होना समझ से परे नहीं। अगर दल समझ नहीं आ रहा तो अपने पद से इस्तीफा देकर जिस दल में जाना चाहते हैं उससे चुनाव लडना चाहिए। लेकिन आज जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सांसदों का अपनी तरफ सत्ता पक्ष इसलिए कर रहा है कि उसे मानसून सत्र में संसद बिल पास कराने हैं। चलो मान लिया कि सत्ता पक्ष ऐसा कर रहा है तो क्या दल की विश्वनीयता पर तो प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए। खैर देखना होगा कि अभी कितने दलों के सांसदों का मन मलाई के पसीज रहा है। लेखक वरिष्ठ पत्रकार, चिंतक, राजनीतिक विचारक है।

(यह लेखक के अपने निजी विचार है)

दुनिया की नजरों में मुस्कुराती, भीतर पिता से ताकत लेती बेटी

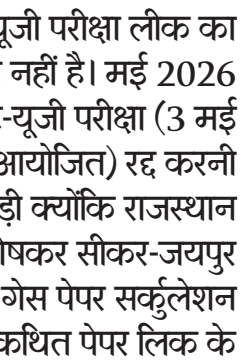

कृति आरके जैन

कभी-कभी जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर नहीं, भीतर शुरू होता है—जहाँ निर्णयों की भीड़ में आत्मविश्वास मौन हो जाता है और रिश्तों की अपेक्षाएँ मन पर दबाव बनकर धीरे-धीरे कसने लगती हैं। विवाह के बाद स्त्री-जीवन में यह भार और गहरा हो जाता है—कभी शब्दों में, कभी मौन में, कभी जिम्मेदारियों के नाम पर, तो कभी 'समझदारी' की कठोर परिभाषाओं में। बाहर से सब सामान्य लगता है, पर भीतर हर दिन एक नई परीक्षा जैसा होता है, जिसका प्रश्नपत्र बदलता रहता है और उत्तर पहले से तय मान लिए जाते हैं। ऐसे में अपनी इच्छाओं और दूसरों की अपेक्षाओं के बीच संतुलन बनाना भी एक निरंतर संघर्ष बन जाता है।

पिता का अदृश्य सहारा

ऐसे समय में सबसे बड़ा सहारा कोई सामने खड़ा व्यक्ति नहीं, बल्कि भीतर बसा वह अदृश्य संस्कार होता है जो पिता ने बिना औपचारिक उपदेश के अपने आचरण से दिया होता है। उनके शब्द जीवन गढ़ने वाले सूत्र थे— 'धैर्य रखो, सब अच्छा होगा,' 'अपने मन की राह पर अडिग रहो,' 'कर्म ही पहचान है,' 'सहनशीलता को ताकत बनाओ,' 'ईश्वर पर विश्वास रखो,' 'बड़ों का सम्मान और छोटों से स्नेह रखो,' 'सत्य और ईमानदारी थामे रहो,' और 'कठिन समय में हिम्मत मत छोड़ो।' विवाह के बाद जब जीवन जिम्मेदारियों और संघर्षों से भरता है, तब यही सूत्र भीतर से उठकर व्यक्ति को स्थिर रखते हैं, सही निर्णय की शक्ति देते हैं और कठिन मोड़ों पर टूटने से बचाकर आगे बढ़ने का साहस देते हैं।

आत्मसम्मान का कवच

विवाह के बाद स्त्री के सामने सबसे बड़ा संघर्ष केवल बदलती परिस्थितियों का नहीं, बल्कि अपनी पहचान को बनाए रखने का होता है—अनेक भूमिकाओं और अपेक्षाओं के बीच स्वयं को पीछे छूटने से बचाने का। ऐसे समय में पिता की शिक्षा एक अदृश्य कवच बनकर साथ रहती है। जब निर्णय भावनाओं में उलझता है, तब उनकी सिखाई तर्कशीलता मार्ग दिखाती है; जब रिश्ता दबाव बनता है, तब उनके संस्कारों से उपजा आत्मसम्मान दृढ़ करता है। यह कोई बाहरी सहारा नहीं, बल्कि भीतर का अनुशासन और चेतना है।

जीवन में संतुलन की सीख

गृहस्थ जीवन की सबसे कठिन परीक्षा संघर्ष नहीं, बल्कि संतुलन है—सपनों और जिम्मेदारियों के बीच, मौन और अभिव्यक्ति के बीच, धैर्य और प्रतिरोध के बीच। ऐसे में पिता की सीख केवल मार्गदर्शन नहीं, बल्कि भीतर का संतुलन बन जाती है। उन्होंने सिखाया कि झुकना कमजोरी नहीं, पर टूटना स्वीकार्य नहीं; समझौता जीवन का हिस्सा है, पर आत्मसम्मान कभी समझौते की वस्तु नहीं बन सकता। यही दृष्टि विवाह में स्त्री को केवल रिश्ते निभाने वाली नहीं, बल्कि स्वयं को अक्षुण्ण रखने वाली शक्ति देती है।

मौन में पिता की स्मृति

कई बार जीवन ऐसे मोड़ पर आता है, जहाँ रिश्तों में शब्द बोझ बन जाते हैं और मौन और भारी हो जाता है। ऐसे क्षणों में पिता की स्मृति सहारे की तरह नहीं, बल्कि भीतर गूँजती शांत चेतना की तरह होती है—जो याद दिलाती है कि हर प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं, पर हर निर्णय विवेकपूर्ण होना चाहिए। तब वह बेटी, जो अब पत्नी बन चुकी है, अपने भीतर उस परिचित स्वर को फिर सुनती है— 'सब कुछ बचाना, पर सबसे पहले स्वयं को मत खोना।'

स्थिरता का जीवन-सूत्र

जब सामाजिक अपेक्षाएँ, पारिवारिक दायित्व और व्यक्तिगत आकांक्षाएँ एक साथ सामने खड़ी हो जाती हैं, तब जीवन मानो तीन दिशाओं में खिंचते हुए संघर्ष का रूप ले लेता है। ऐसे समय में पिता की शिक्षा सबसे गहरी भूमिका निभाती है, क्योंकि वह केवल भावनाओं को नहीं, बल्कि विचारों को भी स्थिरता प्रदान करती है। पिता ने यह नहीं सिखाया होता कि कठिनाइयों में टूट पड़ना या हार मान लेना है, बल्कि यह कि कठिनाइयों के बीच भी स्वयं को समझना, पहचानना और अपने भीतर की आवाज़ को सुनना कभी नहीं छोड़ना चाहिए।

परीक्षाओं की पूर्व-तैयारी

समय के साथ यह गहराई से समझ आने लगता है कि पिता केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे जीवन की हर अनदेखी परीक्षा के लिए की गई एक तैयारी थे। विवाह के बाद जब परिस्थितियाँ नए प्रश्न और नई चुनौतियाँ सामने रखती हैं, तब उनकी सीखें किसी पुस्तक के पन्नों की तरह नहीं खुलतीं, बल्कि भीतर की चेतना बनकर सक्रिय हो उठती हैं। हर कठिन निर्णय के क्षण में उनका कोई वाक्य, कोई दृष्टिकोण, कोई मूल्य या फिर उनका मौन ही अदृश्य शक्ति बनकर साथ खड़ा दिखाई देता है।

(यह लेखक के अपने निजी विचार है)

सोना सूख गया

चीन में हुनसेन नाम का राजा शासन करता था। वह बहुत कंजूस था। दान-पुण्य तो दूर, जनता की जरूरतें पूरी करने के लिए भी धन नहीं निकालता था। उसके पास सोने-चांदी का अपार भंडार था, लेकिन वह किसी की मदद नहीं करता था। राजा के महल से कुछ दूरी पर सिनचिन नामक एक वृद्ध की छोटी-सी झोंपड़ी थी। सिनचिन उस समय चीन का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता था। राजा की आदतों से वह भी परेशान था। अतः उसने राजा को सबक सिखाने की ठान ली।

एक दिन वह अपने मित्रों से सोने के नन्हे-नन्हे चार टुकड़े उधार लाया। उसने सोने के उन टुकड़ों को पीली चमकती हुई एक बड़ी छलनी में रखा और पास बहती नदी के किनारे जा बैठा। इस नदी पर राजा रोज स्नान करने आता था। सिनचिन ने दूर से ही राजा को आते हुए देखा। वह ऐसा अभिनय करने लगा, मानो छलनी में कुछ छान रहा हो। राजा ने उसके पास आकर पूछा, ल्लसिनचिन, यह क्या कर रहे हो? तुम्हें सुबह-सुबह रेत छानने की क्या आवश्यकता पड़ गई?
सिनचिन ने कहा, महाराज, मैं तो इस रेत में छिपा सोना ढूंढ़ रहा हूं।ङ्क
राजा कुछ कहता, इससे पहले ही सिनचिन ने छलनी भर रेत निकाली और छान दी। छलनी के ऊपर सोने के चार छोटे-छोटे टुकड़े चमक रहे थे।
राजा ने आश्चर्य से पूछा, ल्लरेत में सोना! यह कैसे किया?
सिनचिन ने समझाते हुए जवाब दिया, ल्लहुजूर, आज से महीना भर पहले मैंने सोने का एक छोटा सा टुकड़ा इस जगह पर बोया था। देखिए हुजूर, पूरे चार टुकड़े निकले हैं। यदि मैं कुछ और सब्र करता, तो यहां बहुत से टुकड़े मिलते।
राजा ने चौंकते हुए कहा, ल्लक्या बकवास करते हो? भला क्या सोने की भी खेती की जा सकती है?
सिनचिन ने कहा, क्यों नहीं हुजूर? आप खुद ही देख लीजिए। मैं तो गरीब आदमी हूं। पिछले दस वर्षों से इसी प्रकार सोना बोता हूं और काट लेता हूं। इसी सोने से मेरा पेट पलता है।
राजा ने नाराजगी भरे स्वर में कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरे पास तो सोने का ढेर है। मुझे पता होता, तो मैं सारा सोना बो देता। आज तक तो मेरा महल सोने से भर गया होता।
इस पर सिनचिन ने कहा, हुजूर, अब भी देर नहीं हुई है। आप अब भी बो लीजिए। छह महीने बाद देखिएगा, तो फसल लहलहाती नजर आएगी।
राजा ने सिनचिन के कंधे पर हाथ रखते हुए जवाब दिया, देखो सिनचिन, तुम तो एक अनुभवी आदमी हो। मेरी ओर से तुम सोने की खेती करो। इसके लिए तुम्हें जितना सोना चाहिए, तुम ले सकते हो। आज ही मेरे साथ महल में चलो। इस काम के लिए तो तुम मेरे सेवकों को भी साथ ले सकते हो।
सिनचिन तो मानो इस मौके की प्रतीक्षा में था। वह तुरंत राजी हो गया। वह महल में गया और सोने के ढेरों टुकड़े ले आया। राजा ने अपने दस सेवक भी सिनचिन को मदद के लिए दे दिए।
देखते ही देखते, नदी के किनारे खुदाई का काम शुरू हो गया। सिनचिन के कहे अनुसार, सेवकों ने वहां पर सोना बीज की तरह बो दिया। ऊपर रेत डाल दी। सिनचिन ने राजा को आश्वासन दिया कि छह महीने बाद बोए हुए सोने का तीन गुना सोना मिल जाएगा।
इस बीच सिनचिन रोज रात को नदी किनारे जाने लगा। वहां पर वह रोज थोड़ा सा हिस्सा खोदता और वहां दबा सोना अपने झोले में रख लाता। अगले दिन सुबह ही वह सारा सोना गरीबों में बांट देता था। धीरे-धीरे जनता की गरीबी मिटने लगी।
इधर राजा इंतजार करता रहा कि कब छह महीने पूरे हों और उसे बोए हुए सोने का तीन गुना सोना मिले। धीरे-धीरे छह महीने भी पूरे हो गए। राजा ने सिनचिन को दरबार में बुलाया। उसे आदेश दिया कि वह सारा सोना खोद लाए। सिनचिन ने इस काम के लिए कुछ सेवकों की मांग की। राजा ने इस बार बीस सेवक उसके साथ कर दिए। सेवकों ने उस स्थान पर काफी गहराई तक खुदाई की, रेत को छाना। लेकिन सभी यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि उसमें सिवाय दो-चार सोने के टुकड़ों के कुछ नहीं था। सिनचिन भागा-भागा राजा के पास पहुंचा। रोते हुए बोला, हुजूर, आपकी किस्मत खराब थी। जमीन में सोने के दो-चार सूखे हुए टुकड़ों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं निकला है।
राजा ने आश्चर्य से पूछा, ल्लसूखे हुए टुकड़े! तुम्हारा मतलब क्या है? सिनचिन ने जवाब दिया, हां हुजूर, इस बार सारा सोना सूख गया है। आप तो जानते ही हैं, इस बार बारिश बिल्कुल नहीं हुई। सारी फसल सूख गई। आपका बहुत नुकसान हो गया इस बार।
हुनसेन ने डांटते हुए पूछा, भला सोना सूख कैसे सकता है? यह तो ठोस चीज है।
सिनचिन ने मुसकराते हुए कहा, हुजूर, आपने इतनी बातों पर विश्वास कर लिया कि सोना बोया जा सकता है, सोने की फसल लहलहा सकती है, सोना काटा जा सकता है। फिर भला इतनी सी बात पर विश्वास क्यों नहीं करते कि सोना सूख गया?
राजा निरुत्तर हो गया। मंत्रियों से सलाह ली, तो उन्होंने कहा, सिनचिन ठीक कहता है। वाकई यदि सोना बोया जा सकता है, तो सूख भी सकता है। अब तो राजा से कुछ कहते नहीं बना। वह सिर पकड़कर बैठ गया। सिनचिन ने कंजूस राजा को अच्छा सबक सिखा दिया था।

अंतरराष्ट्रीय शोध टीम ने खोजी कछुए की नई प्रजाति

एक अंतरराष्ट्रीय टीम के साथ मिलकर जर्मनी के सेनकेनबर्ग के वैज्ञानिक यूवे फ्रिट्ज ने आनुवांशिक विश्लेषण के आधार पर कछुए की एक नई प्रजाति के बारे में बताया है। अब तक माना जाता था कि 'जीनस चेलुस' कछुए की केवल एक ही प्रजाति है। अध्ययन में कहा गया है कि उन जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण का पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए, जिनको अक्सर अवैध पशु व्यापार में बेच दिया जाता है। इस अध्ययन को साइंटिफिक पत्रिका मॉलिक्युलर फाइटोलेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में प्रकाशित किया गया है।

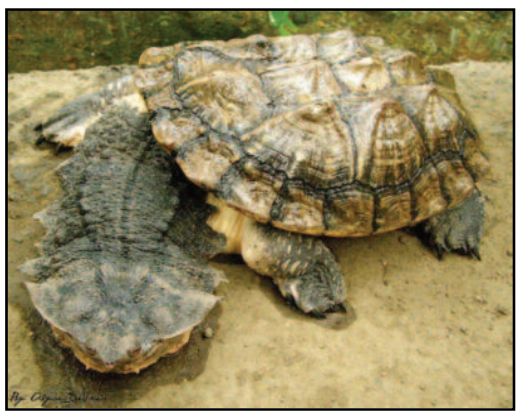

इस प्रजाति का नाम माता-माता बताया गया है, जो पानी के नीचे कीचड़ में छिपे रहते है, इनकी लंबाई 53 सेंटीमीटर तक होती है। ये शैवाल से ढकी चट्टानों की तरह दिखते हैं। लेकिन जब कोई शिकार करने लायक जानवर सामने आता है, तो कछुआ उसे अचानक अपना बड़ा मुंह खोलकर उसे चूसकर पूरा निगल जाता है।
ड्रेसडेन में सेनकेनबर्ग प्राकृतिक इतिहास संग्रह के प्रोफेसर डॉ.यूवे फ्रिट्ज बताते हैं यद्यपि ये कछुए अपने विचित्र रूप और असामान्य खाने के व्यवहार के कारण व्यापक रूप से जाने जाते हैं, लेकिन उनकी विविधता और आनुवांशिकी के बारे में बहुत कम जानकारी है। फ्रिट्ज कहते हैं अब हमने यह मान लिया कि इस कवचवाले सरीसृप की केवल एक प्रजाति है जो पूरे दक्षिण अमेरिका में व्यापक रूप से फैली हुई है।
लेकिन ऐसी प्रजातियां, जिन्हें लुप्तप्राय नहीं माना जाता है, वे आश्चर्यजनक हो सकती हैं। आनुवंशिक विश्लेषण के आधार पर, उन्हें अक्सर दो या अधिक स्वतंत्र प्रजातियों में विभाजित किया जाता है। कई अध्ययनों से पता लगा है कि माता-माता कछुए अमेजन बेसिन की तुलना में ओरिनोको नदी में अलग दिखते हैं। ड्रेसडेन के वैज्ञानिक कहते हैं इस अवलोकन के आधार पर, हमने इन जानवरों के जेनेटिक बनावट पर बारीकी से नजर रखने का फैसला किया है।
75 डीएनए नमूनों का उपयोग करते हुए, शोधकर्ताओं ने बताया कि पिछली मान्यताओं के विपरीत, माता-माता कछुओं की आनुवंशिक और दिखने में भी भिन्न-भिन्न दो प्रजातियां हैं। नई प्रजातियां चेलुस ओरिनोकेन्सिस ओरिनोको और रियो नीग्रो बेसिन में निवास करती हैं, जबकि चेलुस फिम्ब्रिआटा के रूप में जानी जाने वाली प्रजाति विशेष रूप से अमेजॅन बेसिन तक सीमित है।
अध्ययन के अनुसार, लगभग 1 करोड़ 30 लाख साल पहले दोनों प्रजातियां मियोसीन के दौरान विभाजित हो गईं थी। इस अवधि के दौरान, पूर्व अमेजॅन-ओरिनोको बेसिन में जानी पहचानी दो नदी घाटियां अलग-अलग हो गई थी। कई जलीय जीवों की प्रजातियां इस तरह स्थान के आधार पर अलग हो गईं और इन्होंने आनुवंशिक रूप से फैलना शुरू कर दिया।
नई प्रजातियों के विवरण में भी माता माता के संरक्षण की स्थिति का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है। आज तक, इस प्रजाति के व्यापक रूप से फैलने के कारण इन्हें लुप्तप्राय नहीं माना गया था। अध्ययनकर्ताओं ने कहा कि हमारे परिणाम बताते हैं कि, दो प्रजातियों में विभाजित होने के कारण, प्रत्येक प्रजाति की जनसंख्या आकार पहले की तुलना में छोटी हुई है।
इसके अलावा, हर साल इन विचित्र दिखने वाले हजारों जानवरों का अवैध व्यापार होने से इनका जीवन समाप्त हो रहा हैं।
हालांकि इन जानवरों के अवैध व्यापार का पता लगने पर अधिकारियों द्वारा इन्हें जब्त भी किया जाता है। बोगोटा के नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कोलम्बिया के प्रोफेसर और प्रमुख अध्ययनकर्ता मारियो वर्गास-रामिरेज कहते है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए, हमें इन आकर्षक जानवरों की रक्षा करनी चाहिए।

दुनिया की रहस्यमयी फुन्दूजी झील

दुनिया में लाखों की संख्या में झीलें हैं, कुछ झीलें ऐसा ही जिनका रहस्य आज तक इंसान नहीं जानता.कुछ झीलों काफी डारवनी भी है.आज हम आपको एक ऐसी ही झील के बारे में बताने जा रहे हैं.कहा जाता है कि इस झील का पानी जो भी पी ले वो जिंदा नहीं बचता है और जल्द ही उसकी मौत हो जाती है.यह रहस्यमयी झील दक्षिण अफ्रीका के लिंपोपो प्रांत में है. इसे फुन्दूजी झील के नाम से जाना जाता है.स्थानीय लोगों के अनुसार, किंवदंती है कि इस जगह से प्राचीन काल में एक कोढ़ी व्यक्ति जो कारी लंबा सफर करके यहां आया था, उसे लोगों द्वारा भोजन और आश्रय नहीं दिया गया. कहा जाता है कि इसके बाद उस व्यक्ति ने लोगों को श्राप दिया और झील में प्रवेश किया और फिर गायब हो गया.
कहा जाता है कि झील के अंदर से आज भी डूबे हुए लोगों के रोने, ड्रम बजने की आवाजें आती रहती हैं. स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि पहाड़ों पर मौजूद इस झील की रक्षा एक विशालकाय अजगर करता है.इस अजगर को प्रसन्न करने के लिए हर साल वेन्दा आदिवासी एक नृत्य उत्सव का आयोजन करतें हैं, जिसमें कुवारी लड़कियां नाचती हैं.कहा जाता है कि झील प्राचीन काल में भूस्खलन के कारण बनी थी जिसने मुटाली नदी के प्रवाह को अवरुद्ध कर दिया था, और अब यह एक रहस्य है कि नदी का पानी बहुत साफ है, लेकिन ऐसा क्या है कि जो भी इसके पानी को पीता है उसकी जल्द ही मृत्यु हो जाती है.
जानकारी के अनुसार, झील के पानी के रहस्य को जानने की कई कोशिशें हुईं, हालांकि जांचकर्ता हर बार विफल रहे. कहा गया कि 1946 में एंडी लेविन नाम के एक व्यक्ति को झील के पानी की सच्चाई का पता लगाने के लिए यहां आया था.उसने इस झील से थोड़ा पानी लिया और झील के आस-पास के कुछ पौधे लिए और चल दिया. लेकिन वो थोड़ी देर ही चला था कि वो रास्ता भटक गया.एंडी लेविन तब तक रास्ता भटकते रहे जब तक उन्होंने पानी और पौधे नहीं फेंक दिए थे. हालांकि, इस घटना के कुछ दिनों बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी.
आज तक किसी को इस बात का पता नहीं चला है कि आखिर इस झील में ऐसा क्या है कि इसका पानी पीने के बाद व्यक्ति कि मौत हो जाती है.कुछ लोगों का मानना है कि इस झील के पानी में कोई खतरनाक जहरीली गैस मिली हो सकती है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है.

बस्तर में पाई जाने वाली जनजातियां

आधुनिक भारत में आज भी कई ऐसे स्थान है जहा पर बरसों से चली आ रही जनजातियां निवास करती हैयु तो भारतीय इतिहास में आदिवासी जनजाति संस्कृति का बहुत महत्व है.लेकिन समय के साथ बहुत सी जनजातियों ने स्वयं में बदलाव किये है.जैसे हलबा व भतरा जनजाति इत्यादि. अगर संपूर्ण विश्व की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जनजातियां भारत में पाई जाती है जैसे कोल, भील, पहाड़िया, कमार, थारू जनजाति इत्यादि. लेकिन आज हम आपको बस्तर में पाई जाने वाली प्राचीन समय से लेकर अब तक चली आ रही जनजातियों के बारे में बताने जा रहे हैं.ये जनजातियां बस्तर व बस्तर के आस पास के इलाको में निवास करती है.तो जानते हैं इन जनजातियों के बारे में

जनजाति का अर्थ

जनजाति को समझने के लिए पहले हमें प्रकृति व जंगलों में रहने वाले मनुष्य के समुदाय को बारीकी से समझना चाहिए.जनजाति वह होती है जो सभी लोगों से दूर पर्वतों,जंगलों, वनो इत्यादि में निवास करती हैं. जिन की भाषा अलग होती है जो भूत-प्रेत, दैवी शक्तियों में बेहद विश्वास रखते हैं. जिन का व्यवसाय जंगली शिकार व जंगली पेड़ पोधो पर निर्भर रहता है. जंगलो में पाई जाने वाली लगभग 90 % जनजातीय असभ्य व हिंसक होती हैजिस प्रकार जंगली जानवर अपने इलाके की रक्षा के लिए अपनी जान तक दे सकता है ठीक इसी प्रकार ये जनजातीया अपने इलाके की रक्षा करती है. अमूमन सभी जनजाती माँसाहारी होती है.

बस्तर में पाई जाने वाली जनजातियों से पहले आपको बस्तर इलाके के बारे में समझना होगा.बस्तर एक जिला है जो चार संस्कृतियों से घिरा हुआ है इसके चारों तरफ छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र की सीमाएं लगती है.इस जिले के जंगलो में हजारों सालों से विभिन्न जनजातियाँ निवास करती हैं जिनमे से प्रमुख जनजातियों का विवरण इस प्रकार है:

माडिया जनजाति

माडिया जनजाति बस्तर के जंगलों में पाई जाने वाली जनजाति है.यह जनजाति बस्तर के पहाड़ी इलाकों व जंगलों में निवास करती है.माडिया जनजाति को दो भागों में बांटा गया है 1.अबुझ माड़िया 2. दण्डामी माड़िया (बाईसन होर्न माड़िया) अबूझ मडिया पहाड़ों के घने जंगलों में निवास करती है व दण्डामी माड़िया समतल इलाके के जंगलों में निवास करती हैये लोग माड़िया भाषा बोलते है.इन दोनों जनजातियों की संस्कृति आपस में मिलती जुलती है और यह दोनों ही जनजातियां बाहरी लोगों का अपने इलाके में आना पसंद नहीं करती.जब भी कोई व्यक्ति इनके इलाके में प्रवेश करता है तो यह असहज महसूस करते हैं व बाहरी व्यक्ति पर तीर कमान से हमला कर देते हैं. हमले के बाद इस जनजाति के लोग कर्कश ध्वनि के द्वारा अपनी ताकत का एहसास कराते हैं.माडिया जनजाति के पुरुषों का स्वभाव नटखट व नाच गाने वाला होता है.यह लोग शराब के शौकीन होते हैं.इस जनजाति लोग अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए अपने देवताओं के सम्मान में लकड़ियों के द्वारा आग जला कर उसके चारों ओर नृत्य करते हैं.माडिया जनजाति सर्वाहारी जनजातियों की श्रेणी में आती है.इस जनजाति के लोग बहुत बहादुर होते है ट इस जनजाति के पुरुष शिकार के लिए बाघ, भालू, तेंदवे से भी लोहा लेने से नहीं कतराते.यु तो माडिया जनजाति बाघ का बेहद सम्मान करती है परंतु जब बाघ इन पर हमला करता है तो आत्म रक्षा में बाघ को भी मार सकते है.माड़िया लोगो में घोटुल परंपरा का पालन होता है व यह लोग काकसार नाम के कुल देवता की अराधना करते हैं.

हलबा जनजाति

हलबा जनजाति छत्तीसगढ़ (बस्तर) में पाई जाने वाली एक विशाल जनजाति है इस जनजाति के लोग छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के इलाकों में निवास करते हैं. प्राचीन समय में यह जनजाति भी जंगलों में रहती थी परंतु आज के समय में इस जनजाति के लोग गांवो की तरफ भी पलायन कर रहे हैं.हलबा जनजाति 17 वीं शताब्दी में बस्तर राज्य के प्रमुख और सबसे प्रभावशाली जनजातीय समूहों में से एक थीं व उस समय हलबा जनजाति बस्तर राज्य की राजनीति और सेना में सक्रिय थीं.देश के विभिन्न हिस्सों में प्रवास के बाद हलबा जनजाति ने अपनी आजीविका के लिए अलग-अलग व्यवसाय को अपना लिया . जैसे कृषि, बुनाई, मजदूरी इत्यादि हल्बा जनजाति की भाषा हल्बी है, जो मराठी और ओडिया का संयोजन से बनी है व ये लोग देवी माँ दंतेश्वरी की पूजा करते है.

भतरा जनजाति

भतरा जनजाति प्राचीन काल में सम्पूर्ण बस्तर जिले में फैली हुई थी इस जनजाति के लोग कला और नाटक प्रेमी होते थे.इन्हें पेंटिंग करना व नाच गाना पसंद था.परंतु समय के साथ इस जनजाति के लोगो ने खुद में बदलाव किया और यह भी समय की दौड़ के साथ चलना सिख गए.आज भतरा जनजाति के लोगों ने आधुनिक बनना शुरू कर दिया है.इस जनजाति के लोग आज कल शहरों में रोजगार की लिए निवास करते हैं.प्राचीन समय में इस जनजाति के लोगो का प्रिय भोजन केकड़ा व पक्षियों का मॉस था.

मुरिया जनजाति

मुरिया जनजाति को बस्तर की मूल जनजाति कहा जाता है अर्थात इस जनजाति के लोग हमेशा से इस इलाके में रहे हैं इस जनजाति के लोगों को श्रृंगार करना व कलात्मक वस्तुएं बनाना पसंद है.मुरिया जनजाति में माओपाटा के रूप में एक आदिम शिकार नृत्य किया जाता है जिसमे इस जनजाति के सभी पुरुष बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते है.नृत्य के समय युवा पुरुष नर्तक अपनी कमर में पीतल अथवा लोहे की घंटियां बांधे रहते है साथ में छतरी और सिर पर आकर्षक सजावट कर नृत्य करते है.

पत्रकारिता के मूल मानकों को जीवित रख रहे बृजवाल

डिजिटल पत्रकारिता के शुरुआती दौर से लेकर आज तक सिद्धांत, स्वाभिमान और सामाजिक सरोकारों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाली एक प्रेरक यात्रा।

लेखक: अचल जाखड़, प्रेरक वक्ता

जब बाड़मेर में डिजिटल पत्रकारिता का 'डी' भी बहुत कम लोग जानते थे, तब एक व्यक्ति ने कैमरे और माइक को दलाली का साधन नहीं, बल्कि समाज की आवाज़ बनाने का संकल्प लिया था।

वह नाम है -पप्पू कुमार बृजवाल।

आज जब सोशल मीडिया के दौर में दो हजार रुपये में किसी की रील चढ़ाने और दो हजार रुपये में किसी की रील हटाने वाले तथाकथित 'वायरल पत्रकार' पैदा हो रहे हैं, तब पप्पू कुमार बृजवाल जैसे लोग पत्रकारिता के उस स्वर्णिम पक्ष की याद दिलाते हैं, जिसे बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा था।

बाड़मेर में उस समय डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत करना, जब अधिकांश लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते थे, आसान काम नहीं था। लेकिन उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया।

एसपी ऑफिस और कलेक्टर ऑफिस के बाहर बैठकर सत्ता और व्यवस्था की दलाली करने की बजाय उन्होंने अपने स्वाभिमान को चुना।

उन्होंने यह साबित किया कि पत्रकारिता का काम किसी का गुणगान करना या किसी के इशारे पर किसी को बदनाम करना नहीं, बल्कि समाज की आवाज़ बनना है।

जिस दौर में कुछ लोग पत्रकारिता को केवल कमाई का जरिया बना रहे थे, उस दौर में उन्होंने पत्रकारिता के मूल मानकों को जीवित रखा। सच यह भी है कि पत्रकारिता में आर्थिक संघर्ष हमेशा रहा है। बाड़मेर जैसे क्षेत्र में तो यह संघर्ष और भी कठिन रहा। शायद यही कारण था कि उन्होंने समय की आवश्यकता को समझते हुए जयपुर का रुख किया, अपना व्यवसाय स्थापित किया और जीवन को नई दिशा दी।

लेकिन व्यवसाय में सफलता मिलने के बाद भी उनके भीतर का पत्रकार कभी नहीं मरा। आम आदमी का दर्द, उसकी पीड़ा, उसकी आवाज़ उनके दिल के किसी कोने में हमेशा जीवित रही। उन्होंने अपनी लाइन को बड़ा करने का रास्ता चुना, दूसरों की लाइन को छोटा करने का नहीं। यही बड़े लोगों की पहचान होती है।

पत्रकारिता गुटखे और जर्दे से भरे मुह के बीच बोले गए ऊँचे शब्दों का नाम नहीं है।
पत्रकारिता सत्ता से सवाल पूछने का साहस है। पत्रकारिता समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज़ को मंच देने का नाम है। पत्रकारिता सत्य, संवेदना और सरोकार का दूसरा नाम है।
आज जो लोग क्षणिक प्रसिद्धि के नशे में खुद को बहुत बड़ा समझ रहे हैं, उन्हें भी यह समझना होगा कि शोर और प्रभाव में फर्क होता है। वायरल होना और विश्वसनीय होना, दोनों अलग-अलग बातें हैं।
पप्पू कुमार बृजवाल ने कभी किसी की सीढ़ी बनकर ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं की, न ही किसी को गिराकर स्वयं को बड़ा साबित करने का प्रयास किया। उन्होंने संघर्ष किया, अपने दम पर रास्ता बनाया और आज उसी का परिणाम है कि उनका व्यक्तित्व और उनका काम दोनों लगातार विस्तार पा रहे हैं।

समय हमेशा शोर मचाने वालों को नहीं, बल्कि धैर्य और सिद्धांतों पर चलने वालों को याद रखता है।

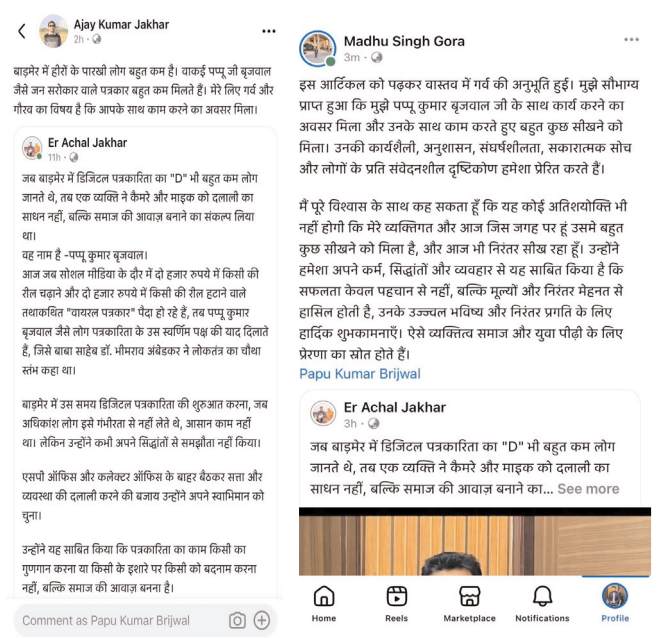

मुझे विश्वास है कि आने वाला समय उन लोगों का होगा, जो पत्रकारिता को पेशा नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी मानते हैं। पप्पू कुमार बृजवाल ऐसे ही लोगों में से एक हैं।

लेखक पेशे से भारतीय रेल्वे में लोको पायलट है।
समसामयिक मुद्दे ओर समाज के गम्भीर मुद्दों पर अपनी राय रखते है

आज राजधानी जयपुर में और पूरे राजस्थान में पप्पू कुमार बृजवाल एक उभरते हुए चेहरे के रूप में सामने आ रहे हैं। जिस गंभीरता, मेहनत और दूरदर्शिता के साथ उन्होंने पत्रकारिता को नए आयाम देने का प्रयास शुरू किया है, उसके परिणाम आने वाले एक-दो वर्षों में पूरे प्रदेश को दिखाई देंगे।

उस समय शायद बहुत से लोग समझ पाएंगे कि पत्रकारिता केवल एक मोबाइल, एक माइक और कुछ वायरल वीडियो का नाम नहीं होती।

जोधपुर में गौशाला मैदान में स्वीमिंग पुल में पानी में किया योग

लोक टुडे

जोधपुर। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर देश और प्रदेश में उत्साह अपने चरम पर है। लोगों में योग के प्रति जागरूकता और रुझान पैदा करने के लिए विभिन्न संगठनों द्वारा विशेष तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में, जोधपुर के गौशाला मैदान स्थित स्विमिंग पूल में क्रीड़ा भारती जोधपुर द्वारा एक अनूठे 'एक्वा योगा' (पानी में योग) कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में क्रीड़ा भारती द्वारा आयोजित सात दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत योग दिवस से दो दिन पूर्व यह विशेष आयोजन हुआ।

इस दौरान प्रतिभागियों ने पानी के भीतर हाथ में तिरंगा थामकर विभिन्न योग फॉर्मेशन बनाए, जो देखने लायक थे। कार्यक्रम में युवाओं से लेकर योग प्रशिक्षकों तक ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। क्रीड़ा भारती जोधपुर महानगर के अध्यक्ष वरुण धनाढ्या ने बताया कि स्विमिंग और योग दोनों ही शरीर में लचीलापन और स्टैमिना बढ़ाने के लिए बेहतरीन हैं। जोधपुर में पहली बार इस तरह का आयोजन किया गया है, जो संभवतः पूरे राजस्थान में अपनी तरह का पहला प्रयास है। प्रतिभागियों के लिए पानी में संतुलन बनाना एक नया और रोमांचक अनुभव था। योग साधक हर्ष जैन और फिजिकल इंस्ट्रक्टर विजेता चौहान ने बताया कि पानी में एक्वा योगा करना और ध्यान लगाना शरीर व मन को अद्भुत शांति देता है। वहीं, प्रतिभागी लक्षिता निमावत ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि सामान्य योग की तुलना में पानी में योग करना काफी अलग और चुनौतीपूर्ण है; विशेषकर 'नटराज आसन' का फॉर्मेशन सबसे मुश्किल रहा क्योंकि इसमें पानी के भीतर एक पैर पर संतुलन बनाना होता है। सभी प्रतिभागियों ने संदेश दिया कि योग केवल 21 जून के लिए नहीं, बल्कि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए।

राजनीतिक एजेंडा पूरा करने के लिए "कृत्रिम जनादेश" तैयार करना जनादेश का अपमान-पायलट

लोक टुडे

जयपुर। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जनता ने भाजपा को सरकार चलाने के लिए बहुमत दिया है, लेकिन दो-तिहाई बहुमत नहीं दिया। ऐसा जनादेश, जो जनता ने नहीं दिया, उसे कृत्रिम रूप से तैयार करने का प्रयास लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है।

पायलट ने कहा कि पहले जो विधेयक गिर चुका था, उसे दोबारा लाने की कोशिश एक "मैन्युफैक्चर्ड मैंडेट" के माध्यम से राजनीतिक एजेंडा पूरा करने का प्रयास है, जिसकी अनुमति देश की जनता ने कभी नहीं दी। उन्होंने कहा कि यदि राजनीतिक दलों को तोड़कर, सांसदों को इधर-उधर कर और कृत्रिम जनादेश तैयार कर संवैधानिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने का प्रयास किया जाएगा, तो देश की जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी।

पायलट ने कहा कि परिसीमन की प्रक्रिया का एक निर्धारित संवैधानिक ढांचा है। पहले जनगणना होनी चाहिए, उसके

बाद आयोग का गठन होना चाहिए और फिर परिसीमन की प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए। बिना आधार और निर्धारित प्रक्रिया के परिसीमन करना केवल राजनीतिक उद्देश्य साधने का प्रयास है, जो अवैधानिक, अनैतिक और असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि देश की जनता सब देख रही है और समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए किस प्रकार के रास्ते अपना रही है।

डॉ. किरोड़ी ने एसीबी को पॉलिटिकल वैपन के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया- गहलोत

लोक टुडे

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीना के एसीबी मुख्यालय जाकर प्रेस वार्ता करने पर बड़ा बयान जारी किया है। गहलोत का कहना है कि इससे साफ है कि राजस्थान सरकार में सबकुछ सही नहीं चल रहा है। मीना के

बयान ने भाजपा सरकार की आपसी कलह को उजागर कर दिया है। कृषि मंत्री ने ACB पर सीधे उन्हें किसी दबाव में आकर फँसाने के आरोप लगाए हैं। कृषि मंत्री ने ACB को 'पॉलिटिकल वैपन' यानी राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। ACB सीधे मुख्यमंत्री के अधीन है। क्या कृषि मंत्री सीधे मुख्यमंत्री पर उन्हें फँसाने का आरोप लगा रहे हैं? अब ज़िम्मेदारी मुख्यमंत्री की है कि वह सच्चाई बताएँ कि कृषि मंत्री इस रिश्वत प्रकरण में लिप्त हैं या मुख्यमंत्री के अधीन ACB उन्हें फँसा रही है? आपको बता दे कि कृषि मंत्री के लगातार बीज कंपनियों पर छापेमारी के दौरान एसीबी के अधिकारियों की गिरफ्तारी और उनके फोन कॉल की लिस्ट में मंत्री जी का नाम सामने आने पर विपक्ष लगातार इस बात को कह रहा है कि मंत्री जी जांच से बच नहीं सकते । मंत्री रहते हुए एसीबी कैसे निष्पक्ष जांच करेगी। यहां तक कि बीजेपी में अंदरखाने डॉ. किरोड़ी लाल मीना के एसीबी के छापों को लेकर सवालिया निशान उठने लगे है। जिससे मीना को बार - बार सफाई देनी पड़ रही है।

कमलेश प्रजापति एनकाउंटर मामला: सेशन कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का आदेश किया रद्द

आईपीएस आनंद शर्मा समेत 24 पुलिसकर्मियों को राहत

लोक टुडे

जोधपुर। बाड़मेर के बहुचर्चित कमलेश प्रजापति एनकाउंटर मामले में जोधपुर महानगर सेशन कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने तत्कालीन बाड़मेर एसपी रहे आनंद शर्मा सहित 24 पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बड़ी राहत प्रदान की है।

सेशन कोर्ट ने अपने आदेश में माना कि घटना के दौरान कमलेश प्रजापति ने भागने का प्रयास करते हुए पुलिस टीम पर वाहन चढ़ाने की कोशिश की थी। ऐसे में पुलिस द्वारा की गई फायरिंग आत्मरक्षा तथा एक हेड कांस्टेबल की जान बचाने के उद्देश्य से की गई जवाबी कार्रवाई थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उपलब्ध तथ्यों और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर इस घटना को फर्जी एनकाउंटर नहीं माना जा सकता। गौरतलब है कि 22 अप्रैल 2021 को बाड़मेर जिले के सदर थाना क्षेत्र में कमलेश प्रजापति का पुलिस एनकाउंटर हुआ था। घटना के बाद राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर व्यापक विरोध-प्रदर्शन हुए थे। तत्कालीन पचपदरा विधायक मदन प्रजापत तथा प्रजापति समाज के लोगों की मांग पर राज्य सरकार ने मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दी थी। सीबीआई ने अपनी जांच में पुलिस कार्रवाई को सही मानते हुए पुलिसकर्मियों को क्लीन चिट दी थी और अदालत में क्लोजर रिपोर्ट पेश की थी। हालांकि, कमलेश प्रजापति की पत्नी ने इस क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती दी थी। इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज, एफएसएल रिपोर्ट और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों को पर्याप्त महत्व न देते हुए क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर हत्या का संज्ञान ले लिया था। ट्रायल कोर्ट के इसी आदेश के विरुद्ध आईपीएस आनंद शर्मा और अन्य पुलिसकर्मियों ने सेशन कोर्ट में निगरानी याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद सेशन कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को राहत प्रदान की है। इस फैसले को बाड़मेर के बहुचर्चित एनकाउंटर प्रकरण में पुलिस पक्ष के लिए बड़ी कानूनी जीत माना जा रहा है।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक संपादक: नीरज मेहरा द्वारा बोनस ग्राफिक्स, लक्ष्मी नगर, झोटवाड़ा मार्ग, अजमेर रोड़, जयपुर-302006 से मुद्रित एवं 141, दयानन्द नगर, फेज प्रथम झालाना डूंगरी गली नंबर 19, थाना गांधी नगर, जयपुर (राज.) से प्रकाशित। प्रबंध संपादक- पी.के.बृजवाल, 9950325930, 9571635930 (कानूनी सलाहकार एडवोकेट कैलाशनाथ भट्ट)